4264 ~~4264~~ 62
23/8/13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या–55/2013–14

मो0 ताहिर अंसारी बनाम सत्तो राम वगैरह।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद में मो0 ताहिर अंसारी पिता स्व0 हाजी मोहम्मद मजनु ग्राम सारा मोहन पुर थाना सदर जिला दरभंगा आवेदक तथा सत्तो राम पिता स्व0 चलित्तर राम, झखरी राम पिता स्व0 विशेश्वर राम, गरभू राम पिता स्व0 लालू राम ग्राम सारा मोहनपुर विपक्षी प्रथम पक्ष एवं मो0 शाहिद, अब्दुल तालिब दोनों पिता स्व0 जैनुल आबदीन ग्राम सारा मोहनपुर थाना सदर जिला दरभंगा विपक्षी द्वितीय पक्ष हैं। विवाद के अन्तर्गत इस वाद में मौजा सारा मोहनपुर थाना नं0 507 में अवस्थित अधोलिखित ब्योरे की भूमि है:–

Sedhule - I

खाता	खेसरा	रकवा बी0–क0–धु0	चौहद्दी
208 पु0 341 नया	74 पु0 109 नया	00–03–00	उ0– मो0 सुल्तान अंसारी
			द0– नीज आवेदक
			पू0– विपक्षी द्वितीय पक्ष
			प0– दीप वंश नारायण

Sedhule - II

खाता	खेसरा	रकवा बी0–क0–धु0	चौहद्दी
208 पु0 341 नया	74 पु0 109 नया	00–02–05	उ0– नीज आवेदक
			द0– विपक्षी द्वितीय पक्ष
			पू0– विपक्षी द्वितीय पक्ष
			प0– गरभू चमार

आवेदक ने इस वाद को शपथ पत्र, साक्ष्य से समर्थन करते हुए न्याय शुल्क मो0 एक सौ रूपया फ्रेकिंग मशीन सं0 3356 से दिनांक 16.04.2013 को जमाकर दिनांक 18.04.2013 को अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया जिसपर विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए वाद की प्रविष्टि की गई तथा दिनांक 22.04.2013 को विपक्षीयों में विपक्षी प्रथम पक्ष ने कार्रवाई में भाग लेकर अपना दावा प्रस्तुत किया, जबकि विपक्षी द्वितीय पक्ष ने न तो कार्रवाई में भाग लिया और न हीं अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित कथन हीं प्रस्तुत किया। अतएव अभिलेख पर उपलब्ध आवेदक एवं विपक्षी प्रथम पक्ष के

07/10/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	दावे प्रतिदावे पर सुनते हुए इस वाद की विधिवत सुनवाई पूर्ण की गई है। सुनने से विदित होता है कि आवेदक ने विपक्षी द्वितीय पक्ष मो0 अब्दुल तालिब से प्रश्नगत 02 कट्ठा 05 धुर भूमि दिनांक 10.07.2008 को तथा मो0 शाहिद से प्रश्नगत 03 कट्ठा भूमि दिनांक 06.02.2007 को निबंधित बयनामा कराया है तथा दोनों विक्रेताओं के पिता का नाम स्व0 जैनुल अवदीन है जो सारा मोहम्मद के ही निवासी हैं तथा विक्रेताओं के पिता ने उक्त भूमि दिनांक 06.03.1980 को मो0 नजीर अंसारी से केवाला द्वारा हासिल किया था तथा मो0 नजीर अंसारी को उक्त भूमि सरकार से लगान निर्धारण वाद सं0– 140/63–64 द्वारा प्राप्त थी। वर्त्तमान में प्रश्नगत दोनों केवाले से प्राप्त भूमि की जमाबन्दी आवेदक के नाम चलती है एवं आवेदक मालगुजारी भुगतान कर वर्ष 2012–13 तक राजस्व रसीद प्राप्त किये हैं। परन्तु विपक्षी प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी एवं साक्ष्य के परीशीलन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत खाता खेसरा का कुल रकवा 94 डी0 अर्थात 01 बीघा 02 कट्ठा 12 धुर है जिसमें विपक्षी प्रथम पक्ष द्वारा मवेशी का चमड़ा खलने का काम किया जाता है जो भूमि बिहार सरकार की है जिसमें कुछ अंश में तालाब है तथा शेष भाग का उपयोग विपक्षी प्रथम पक्ष के पूर्वज द्वारा वर्षों से किया जाता है। विपक्षी प्रथम पक्ष ने दावा किया है कि प्रश्नगत खेसरा में से 08 कट्ठा 12 1/2 धुर भूमि की बन्दोवस्ती इनके पूर्वज जोखन राम के नाम से है जिसपर ये लोग मवेशी के चमड़े उतारने का काम किया करते है। यह भी विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि को लेकर पूर्व में इस न्यायालय में भूमि विवाद वाद सं0– 196/12–13 की कार्रवाई चली थी जिसमें इस वाद के विपक्षी प्रथम पक्ष उक्त वाद में आवेदकगण थे तथा उक्त वाद अन्तर्गत अंचलाधिकारी, दरभंगा से स्थल जाँच प्रतिवेदन प्राप्त की गई थी जिसमें जाँचोपरान्त प्रतिवेदति किया गया था कि मौजा सारा मोहनपुर खाता नं0 208 पुराना खेसरा नं0 74 डी0 अर्थात 01 बीघा 02 कट्ठा 12 धुर है जिसमें उक्त वाद के वादीगण द्वारा मवेशी का चमड़ा खलने का काम पूर्वज के समय से किया जाता आ रहा है। अंचलाधिकारी के अनुसार प्रश्नगत जमीन सरकार की है जिसके अंश भाग पर तालाब है जिसमें से 08 कट्ठा 12 1/2 धुर जमीन जोखन राम के नाम से बन्दोवस्त है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर पूर्व भूमि विवाद वाद सं0 196/11–12 की कार्रवाई में अंतिम आदेश दिनांक 24.12.2011 को पारित किया गया है, जिसके अनुसार इस वाद के विपक्षी प्रथम पक्ष को 08 कट्ठा 12 1/2 धुर भूमि का सीमांकन कराने तथा हाल सर्वे खतियान में बिहार सरकार के नाम सुधार करने हेतु वाद सर्वे बन्दोवस्त पदाधिकारी दरभंगा के न्यायालय में दायर करने हेतु	

07/10/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अंचलाधिकारी, दरभंगा को आदेशित किया गया है। साथ हीं आदेशित किया गया है कि गलत ढ़ंग से पूर्व में किए गए लगान निर्धारण को रद्द करने हेतु विद्वान सरकारी अधिवक्ता से विधि परामर्श प्राप्त किया जाय। उपर्युक्त समीक्षोपरान्त इस वाद में यह विदित होता है कि भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में अंतिम रूप से निष्पादित भूमि विवाद को पुनः प्रारम्भ से सुनने का कोई अधिकार नहीं है। चूँकि पूर्व में पारित आदेश अपीलीय था। अतएव इस वाद के आवेदक का उक्त वाद के आदेश की चुनौती सक्षम प्राधिकार के समक्ष देनी चाहिए थी, जो आवेदक ने नहीं किया है। साथ हीं जब पूर्व में आवेदक के विक्रेता के पिता के विक्रेता का लगान निर्धारण हीं वैध नहीं है तो आवेदक का दस्तावेजी दावा सक्षम न्यायालय से संबंधित है। अतएव उपरोक्त गौरतलब परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद में कोई भी अन्यथा आदेश पारित करना समीचीन नहीं होगा। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुरोधावेदन को खारीज किया जाता है। ''अभिलेख संचिकास्त करें।'' **लेखापित एव शुद्धित** 07/10/13 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 07/10/13 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	